सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 191 दर्ज तिथिः—22.06.2023

1. चेला पुत्र हरजी
   जाति मेघवाल निवासी वांकलपुरा तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. करना पुत्र जाला
2. माधा पुत्र जाला
3. हुवा उर्फ हरियो पत्नी जाला
4. केवलाराम पुत्र अचलाराम
5. जामादेवी पत्नी अचलाराम
6. रामाराम पुत्र भावाराम
7. चुनीदवी पत्नी भावाराम
8. हडमताराम पुत्र भावाराम
9. चांपा पुत्र मासींगा
10. पांचा पुत्र मासींगा
    जातियान मेगवाल साकिन वाकलपुरा तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर
11. तेजा पुत्र जाला
    जाति मेगवाल निवासी मोडावास तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीश चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई
श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—01.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सक्षम वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 106/5.2285 है0, 118/3.0513 है0, 121/1.9506 है0, 126/8.8869 है0, 134/3.1242 है0 वाके ग्राम बांकलपुरा, आराजी खसरा संख्या 220/11.7359 है0 वाके ग्राम हीराणी तरड़ो की ढाणी एवं आराजी खसरा संख्या 164/2.9866 है0 वाके ग्राम गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर प्रतिदावा में वर्णित सारणी अनुसार वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार बंटवारा किया जावे। प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये गयेः—

1. *आया वादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी हैं?*

.....वादी

2. *आया वादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन पश्चात् प्रतिवादीगण के विरूद्ध मुताबिक वादपत्र उल्लेखित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?*

.....वादी

3. *आया प्रतिवादीगण वादपत्र में वर्णित संयुक्त आराजी का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा एवं वहामी बंटवाड़ा व मौके पर कब्जा अनुसार (काउण्टर क्लेम के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट—अ*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

से ल के अनुसार) तकासमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक खाता अंकन करवाने के अधिकारी हैं?

.....प्रतिवादीगण

4. *अन्य दादरसी*

.....उभयपक्षकारान

3. तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 15 मौजा बांकलपुरा	प्रदर्श—01
जमाबंदी	खाता संख्या 12 मौजा हिरोणी तरड़ों की ढाणी	प्रदर्श—02
जमाबंदी	खाता संख्या 26 मौजा गोलिया कला	प्रदर्श—03
नक्शा	खसरा संख्या 164 मौजा गोलिया कला	प्रदर्श—04
नक्शा	खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा	प्रदर्श—05
नक्शा	खसरा संख्या 18 मौजा बांकलपुरा	प्रदर्श—6
नक्शा	खसरा संख्या 121 मौजा बांकलपुरा	प्रदर्श—7
नक्शा	खसरा संख्या 126 मौजा बांकलपुरा	प्रदर्श—8
नक्शा	खसरा संख्या 134 मौजा बांकलपुरा	प्रदर्श—9
नक्शा	खसरा संख्या 220 मौजा हीराणी तरड़ों की ढाणी	प्रदर्श—10

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

साक्ष्य	नाम	जाति	निवासी
पी.डब्ल्यू—01	चेला पुत्र हरजी	मेगवाल	बांकलपुरा, तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू—02	आसुराम पुत्र अणदाराम	देवासी	गोलिया कला
पी.डब्ल्यू—03	भैरूसिंह पुत्र केवसिंह	रावणा राजपूत	गोलिया कला

5. प्रकरण में वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
परिशिष्ट—अ	नक्शा खाता संख्या 220	प्रदर्श—01
परिशिष्ट—ब	नक्शा खाता संख्या 126	प्रदर्श—02
परिशिष्ट—स	नक्शा खाता संख्या 121	प्रदर्श—03
परिशिष्ट—द	नक्शा खाता संख्या 134	प्रदर्श—04
परिशिष्ट—य	नक्शा खाता संख्या 118	प्रदर्श—05
परिशिष्ट—र	नक्शा खाता संख्या 106	प्रदर्श—06
परिशिष्ट—ल	नक्शा खाता संख्या 164	प्रदर्श—07

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

साक्ष्य	नाम	जाति	निवासी
डी.डब्ल्यू—01	तेजाराम पुत्र जालाराम	मेगवाल	मोडावास
डी.डब्ल्यू—02	सवाराम पुत्र रूगाराम	देवासी	बांकलपुरा
डी.डब्ल्यू—03	पांचाराम पुत्र मासींगा	मेगवाल	मोडावास

7. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 14.02.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1270 दिनांक 30.07.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1270 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 21.07.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1769—1780 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1769—1780 दिनांक 12.07.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

8. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—2078, 2070—2073 एवं 2071—2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 106/5. 2285 है0, 118/3.0513 है0, 121/1.9506 है0, 126/8.8869 है0, 134/3.1242 है0 वाके ग्राम बांकलपुरा, आराजी खसरा संख्या 220/11.7359 है0 वाके ग्राम हीराणी तरड़ो की ढाणी एवं आराजी खसरा संख्या 164/2.9866 है0 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है।

9. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में केवल खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा व खसरा संख्या 220 मौजा हीराणी तरड़ों की ढाणी के विभाजन के प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य खसरों के विभाजन प्रस्ताव पर सहमति है। प्रकरण में खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा के विभाजन प्रस्ताव एवं वादी व प्रतिवादी के हितों पर अपने—अपने दावों को सुना गया। प्रकरण में खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर वादी का अभिकथन है कि मौके पर वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया जावे। वर्तमान में खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर रामाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—08 व 11 मौके पर करीब 22—24 बीघा आराजी पर काबिज हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 09—10 करीब 04—05 बीघा आराजी पर काबिज हैं। इसी प्रकार करीब वादी 04—05 बीघा आराजी पर काबिज हैं। जबकि उक्त खसरे में तीनों पक्षकारान का 1/3—1/3 हिस्सा है। उक्त हिस्सेनुसार उक्त खसरे में तीनों पक्षकारान के करीब 31 बीघा 07 बिस्वा जमीन है। इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से उक्त खसरे में तीनों पक्षकारान को करीब 10 बीघा 09 बिस्वा आराजी हिस्से में आती है। इस प्रकार खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर रामाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—08 व 11 मौके पर करीब 11—12 बीघा अधिक आराजी पर काबिज हैं। उक्त खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर रामाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01—08 व 11 मौके पर ढाणी बना होना भी अन्य पक्षकारन द्वारा स्वीकार किया गया हैं।

10. प्रकरण में पक्षकारान के मध्य सहमति बनाने के प्रयास एवं मौके का कब्जा/ढाणी व राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का विनम्र मत है कि उक्त खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर वादी को वर्तमान में मौके पर कब्जा व प्रस्तावित नजरी नक्शा के स्थान पर 08 बीघा आराजी दिया जाना उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार उक्त खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर प्रतिवादी संख्या 09—10 को वर्तमान में मौके पर कब्जा व प्रस्तावित नजरी नक्शा के स्थान पर 08 बीघा आराजी दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा पर प्रतिवादी संख्या 01—08 एवं 11 को वर्तमान में मौके पर कब्जा व प्रस्तावित नजरी नक्शा के स्थान पर 15 बीघा 07 बिस्वा आराजी दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही उक्त आराजी खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा में वादी व प्रतिवादी संख्या 09—10 की आराजी तक खसरा संख्या 105 तक पहुंच हेतु प्रस्तावित 18 फिट चौड़ाई का रास्ता उक्त खसरे में प्रतिवादी संख्या 01—08 एवं 11 हेतु प्रस्तावित आराजी में से प्रस्तावित नजरी नक्शा के स्थान पर संयुक्त खातेदारी में दर्ज करते हुए भूमि वर्गीकरण गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

11. अब प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में खसरा संख्या 220 मौजा हीराणी तरड़ों की ढाणी में उक्त आराजी खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा में पक्षकारान की परिवर्तित हुई आराजी का समायोजन किये जाने हेतु सभी पक्षकारान द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। प्रकरण में खसरा संख्या 106 मौजा बांकलपुरा में सभी पक्षकारान के 1/3—1/3 हिस्से के विपरीत मिली कम—ज्यादा भूमि का समायोजन खसरा संख्या 220 मौजा हीराणी तरड़ों की ढाणी पर प्रतिवादी संख्या 01—08 व 11 एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 09—10 को वर्तमान में मौके पर कब्जा व प्रस्तावित नजरी नक्शा के स्थान पर आराजी दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

12. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

13. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

14. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

15. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 106/5.2285 है0, 118/3.0513 है0, 121/1.9506 है0, 126/8.8869 है0, 134/3.1242 है0 वाके ग्राम बांकलपुरा, आराजी खसरा संख्या 220/11.7359 है0 वाके ग्राम हीराणी तरड़ो की ढाणी एवं आराजी खसरा संख्या 164/2.9866 है0 वाके ग्राम गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस व बिन्दु संख्या 09 लगायत 11 में वर्णित निर्देशानुसार नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामाराम पुत्र भावाराम हि0 1 / 18 हड़मताराम पुत्र भावाराम हि0 1 / 18 हुआदेवी पत्नी जाला हि0 1 / 6 करनाराम पुत्र जालाराम हि0 1 / 6 केवलाराम पुत्र अचलाराम हि0 1 / 12 चुनीदेवी पत्नी भावाराम हि0 1 / 18 जामादेवी पत्नी अचलाराम हि0 1 / 12 तेजाराम पुत्र जालाराम हि0 1 / 6 माधाराम पुत्र जालाराम हि0 1 / 6 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	गोलिया कला	164	2.9866	जमाबंदी बदस्तुर
	बांकलपुरा	106 134	2.5918 3.1242	
	हीराणी तरड़ों की ढाणी	220	3.6038	
कुल किता 04 रकबा 12.3064 है0				
चेलाराम पुत्र हरजीराम कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	बांकलपुरा	106 121 126	1.2959 1.9506 4.0037	
	हीराणी तरड़ों की ढाणी	220	5.0561	
कुल किता 04 रकबा 12.3063 है0				
चांपाराम पुत्र मासींगा हि0 1 / 2 पांचाराम पुत्र मासींगा हि0 1 / 2 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	बांकलपुरा	106 118 126	1.2959 3.0513 4.8832	
	हीराणी तरड़ों की ढाणी	220	3.0760	
कुल किता 04 रकबा 12.3064 है0				
संयुक्त रास्ते हेतु	बांकलपुरा	106	0.0449	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.0449 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेंगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

चेला बनाम करना
2023 / 191
निर्णय दिनांकः—01.09.2025

यह निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

चेला बनाम करना
2023 / 191
निर्णय दिनांकः—01.09.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 191 दर्ज तिथिः—22.06.2023

1. चेला पुत्र हरजी
   जाति मेघवाल निवासी वांकलपुरा तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. करना पुत्र जाला
2. माधा पुत्र जाला
3. हुवा उर्फ हरियो पत्नी जाला
4. केवलाराम पुत्र अचलाराम
5. जामादेवी पत्नी अचलाराम
6. रामाराम पुत्र भावाराम
7. चुनीदवी पत्नी भावाराम
8. हडमताराम पुत्र भावाराम
9. चांपा पुत्र मासींगा
10. पांचा पुत्र मासींगा
    जातियान मेगवाल साकिन वाकलपुरा तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर
11. तेजा पुत्र जाला
    जाति मेगवाल निवासी मोडावास तहसील गुड़ामालानी—बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीश चौधरी
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई
श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

एवं हाल आराजी खसरा संख्या 106/5.2285 है0, 118/3.0513 है0, 121/1.9506 है0, 126/8.8869 है0, 134/3.1242 है0 वाके ग्राम बांकलपुरा, आराजी खसरा संख्या 220/11.7359 है0 वाके ग्राम हीराणी तरड़ो की ढाणी एवं आराजी खसरा संख्या 164/2.9866 है0 वाके ग्राम गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस व बिन्दु संख्या 09 लगायत 11 में वर्णित निर्देशानुसार नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रामाराम पुत्र भावाराम हि0 1/18 हड़मताराम पुत्र भावाराम हि0 1/18	गोलिया कला	164	2.9866	जमाबंदी बदस्तुर
हुआदेवी पत्नी जाला हि0 1/6 करनाराम पुत्र जालाराम हि0 1/6	बांकलपुरा	106 134	2.5918 3.1242	
केवलाराम पुत्र अचलाराम हि0 1/12 चुनीदेवी पत्नी भावाराम हि0 1/18 जामादेवी पत्नी अचलाराम हि0 1/12 तेजाराम पुत्र जालाराम हि0 1/6 माधाराम पुत्र जालाराम हि0 1/6 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	हीराणी तरड़ों की ढाणी	220	3.6038	
कुल किता 04 रकबा 12.3064 है0				
चेलाराम पुत्र हरजीराम कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	बांकलपुरा	106 121 126	1.2959 1.9506 4.0037	
	हीराणी तरड़ों की ढाणी	220	5.0561	
कुल किता 04 रकबा 12.3063 है0				
चांपाराम पुत्र मासींगा हि0 1/2 पांचाराम पुत्र मासींगा हि0 1/2 कौम मेघवाल सा0 देह खातेदार	बांकलपुरा	106 118 126	1.2959 3.0513 4.8832	
	हीराणी तरड़ों की ढाणी	220	3.0760	
कुल किता 04 रकबा 12.3064 है0				
संयुक्त रास्ते हेतु	बांकलपुरा	106	0.0449	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.0449 है0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।
यह डिक्री आज दिनांक 01.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.09.13 16:22:24 IST
Reason: SelfAttested